



## क्षेत्रीय कार्यालय-गोरखपुर प्रथम, बुद्ध विहार कामर्शियल काम्प्लेक्स, तारामण्डल, गोरखपुर-273016

### अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय अस्तित्वों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पढ़ा जाता है।

यह कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा वित्तीय अस्तित्वों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 की धारा 13(2) सहपठित नियम 8 एवं 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं को माँग पत्र जारी किया गया जिसमें बकाया धनराशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने की माँग की गयी थी। यह की निम्नलिखित ऋणकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं बैंक की बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। अतः एतद्वारा ऋणकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों का अधिपत्य कर लिया है जिसका विवरण अधोवर्णित है। ऋणकर्ताओं को विशेष रूप से तथा और सर्वसाधारण को सामान्यतया सूचित किया जाता है कि इस प्रकार का लेन-देन न करें। यह सम्पत्ति उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रभार के अध्याधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि, ब्याज और अन्य खर्च देय है।

यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत स्थावर संपत्तियों को निविदा/विड्स/कोटेशन आमन्त्रित करने का निर्णय लिया है। सम्पत्ति की बिक्री "जो है जैसी है" तथा "जहाँ है जैसी है" के आधार पर की जायेगी। अतः निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए इच्छुक व्यक्ति अपना टेन्डर बंद निविदा के माध्यम से नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर प्रथम में प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्र. सं.	ऋणी/बन्धककर्ता का नाम / शाखा / खाता सं.	बंधक सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि/ नीलामी/कब्जा/मांग सूचना दिनांक/कब्जे का प्रकार	अंशित मूल्य/धरोहर राशि धनराशि (रुपये में) / EMD दिनांक / Bid Open दिनांक
1	<b>ऋणी-</b> मेसर्स विजय ट्रेडर्स, प्रो.- श्री विजय कुमार पुत्र श्री गिरिजा शंकर, गारंटीकर्ता: श्री संजय कुमार पुत्र श्री गिरिजा शंकर और श्री संचिन सिंह पुत्र श्री गुरुषोभत सिंह। <b>बंधककर्ता:</b> श्री विजय कुमार पुत्र श्री गिरिजा शंकर और श्री संजय कुमार पुत्र श्री गिरिजा शंकर <b>शाखा- कस्बा संग्रामपुर</b> <b>खाता संख्या- 75044086809</b>	<b>सम्पत्ति के मालिक-</b> श्री विजय कुमार पुत्र श्री गिरिजा शंकर और श्री संजय कुमार पुत्र श्री गिरिजा शंकर, <b>सम्पत्ति स्थिति-</b> अराजी संख्या 103 मी, मौज़ा- बधनी, तम्पा- महसिन, परगना- उनवल, तहसील- खजनी, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)। सेल डीड क्रमांक 2311, दिनांक 21-08-2005, क्षेत्रफल 121.56 वर्ग मीटर/1307.99 वर्ग फुट। <b>चौहद्दी- उत्तर-</b> भोला पाठक का मकान, दक्षिण- सुभाष सिंह की जमीन, पूर्व- 15 फुट चौड़ी सीसी रोड, <b>पश्चिम-</b> सुभाष सिंह की जमीन	<b>रु. 3,34,265/-</b> + ब्याज प्रभावी + अन्य व्यय	<b>रु. 21,38,000/-</b> <b>रु. 2,13,800/-</b>
			<b>नीलामी दिनांक</b> 11.03.2026	11.03.2026
			<b>मांग सूचना दिनांक</b> 17.02.2021	अपराह्न 11.00 बजे तक
			<b>कब्जा दिनांक</b> 10.01.2022	11.03.2026
			<b>कब्जे का प्रकार</b> सांकेतिक	सायं 4.00 बजे
2	<b>ऋणी-</b> श्री दीपक वर्मा पुत्र श्री गौरी शंकर, गारंटीकर्ता: श्रीमती प्रेमलता देवी पत्नी श्री गौरी शंकर और श्री राज कुमार वर्मा पुत्र श्री गौरी शंकर। <b>बंधककर्ता:</b> श्रीमती प्रेमलता देवी पत्नी श्री गौरी शंकर <b>शाखा- बड़हलगंज</b> <b>खाता संख्या- 75066494734</b>	<b>सम्पत्ति के मालिक-</b> श्रीमती प्रेमलता देवी पत्नी श्री गौरी शंकर, <b>सम्पत्ति स्थिति-</b> मकान नंबर- 651/2, मौज़ा- बड़हलगंज, तम्पा- हवेली, परगना-चिल्लुपार, तहसील- गोरखपुर (उ.प्र.)। सेल डीड क्रमांक 2895, दिनांक 07-09-2011, क्षेत्रफल 5.89 वर्ग मीटर/ 63.38 वर्ग फुट। <b>चौहद्दी- उत्तर-</b> विजय निगम का मकान, दक्षिण- 8 फीट चौड़ा खड्वा, पूर्व- अंबिका गुप्ता का मकान, <b>पश्चिम-</b> सुभावती देवी का मकान	<b>रु. 3,47,571/-</b> + ब्याज प्रभावी + अन्य व्यय	<b>रु. 10,45,000/-</b> <b>रु. 1,04,500/-</b>
			<b>नीलामी दिनांक</b> 11.03.2026	11.03.2026
			<b>मांग सूचना दिनांक</b> 05.12.2023	अपराह्न 11.00 बजे तक
			<b>कब्जा दिनांक</b> 14.03.2024	11.03.2026
			<b>कब्जे का प्रकार</b> सांकेतिक	सायं 4.00 बजे

**नियम एवं शर्तें:-** 1. इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा बंद लिफाफे में (जिसके ऊपर प्रकाशन का दिनांक अंकित होना है) देना है। 2. निविदा प्रस्तुतकर्ता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत (धरोहर) अग्रिम रूप से बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर प्रथम के नाम देय हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करें। अधिकतम नीलामी धनराशि (जो आरक्षित मूल्य से कम न हो) वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित करते हुए असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के एक सप्ताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। 3. सफल निविदाकर्ता को निविदा राशि का 25 प्रतिशत (धरोहर राशि के सहित अगले दिन बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट/NEFT) के माध्यम से जमा करना होगा तथा खरीद राशि का शेष 75 प्रतिशत का भुगतान उनको बिक्री के लिए स्वीकृति/पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक दशा में जमा करना होगा। यदि सफल निविदाकर्ता शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी समस्त राशियाँ जब कर ली जायेगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये अथवा पूर्व सूचना के सबसे ऊँची/समस्त निविदा को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी की तिथि को आगे बढ़ा सकता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी विक्रय सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी चार्ज, लियन, इन्कम्ब्रेंस, टैक्स, सरकारी ऋण, अन्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय/अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। 6. सम्पत्ति उसके आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सफल निविदाकर्ता सभी स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि का वहन स्वयं करेगा। 7. यदि दो या दो से अधिक निविदा एक धनराशि की आती है तो प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि यह उनके बीच आपस में पुनः विडिंग करा लें। 8. निविदा/विक्रय बैंक के द्वारा पुष्टि होने के अधीन होगा। सम्पत्ति को नीलामी "जो है जैसी है" तथा "जहाँ है जैसी है" के आधार पर की जायेगी। 9. यदि कोई ऋणी/जमानतदार नीलामी की तिथि के पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है तो उसकी सम्पत्ति को नीलामी रोक दी जायेगी। इस प्रकार Security Interest Enforcement Rule में 2002 (By the Security Interest/Enforcement/Amendment Rule में 2002 धारा 13 की उपधारा (8) के अन्तर्गत ऋणी/जमानतदार को नीलामी तिथि से पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देने की दशा में बंधक प्रतिभूति आस्ति को उन्मोदित करने सम्बन्धी सभी अवसर उपलब्ध हैं। 10. यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व संपत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें, संपत्तियों के निरीक्षण हेतु सम्बन्धित शाखा से पहले से समय लेकर किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 02:00 बजे से 05:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। 11. यह सेल नोटिस ऋणकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं के लिये विज्ञापन रूप से तथा जनता/सर्वसाधारण के लिये सामान्य रूप से है। 12. कृपया उपरोक्त नीलामी से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क करें।

### सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत विक्रय हेतु वैधानिक सूचना

उपरोक्त ऋणग्रहीता/जमानतदारों/बिधक उत्तराधिकारियों को 30 दिन की नोटिस दी जाती है कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को कर दें, इसमें असफल रहने पर बन्धक सम्पत्ति की नीलामी नियत तिथि को कर दी जायेगी तथा शेष बकाया राशि यदि कोई हो, की वसूली आपसे ब्याज व लागत सहित की जायेगी।